



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

क्रमांक : R-23/38/2022-BFT



क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
पंचदीप भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302001
Panchdeep Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Phone: 0141-2989581 Email : rd-rajasthan@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in |

दिनांक : 23.05.2025

परिपत्र

विषय : अवधिपार दावों से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में दिशानिर्देश ।

उपर्युक्त विषयांतर्गत मुख्यालय के पत्र क्रमांक R/1112/2024-BFT-1 दिनांक 24.04.2025 संदर्भ लेवें जो कि अवधिपार नकद हितलाभ दावों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के संदर्भ में है, अनिवार्य रूप से अनुपालना हेतु प्रेषित है ।

उक्त पत्रानुसार अवधिपार दावों में क्लेम तिथि से पूर्व की बकाया सम्पूर्ण अवधि हेतु क्षेत्रीय कार्यालय से स्वीकृति हेतु मामला प्रेषित करें व स्वीकृति के उपरांत ही सम्पूर्ण अवधि का भुगतान करना सुनिश्चित करें । अतः आगामी सभी प्रकरण जो शाखा प्रबन्धक शक्तियों से परे हैं , सम्पूर्ण अवधि के अनुमोदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित किए जाएँ । इसके अलावा निम्नलिखित बिन्दुओं की अनुपालना भी सुनिश्चित करें :

1. सभी अवधिपार दावों में अवधिपार दावा प्रपत्र , जीवन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) , बीमित / आश्रित का प्रार्थना पत्र , क्लेम फॉर्म आवश्यक रूप से प्रेषित किए जाएँ ।
2. वे सभी दस्तावेज जो दावेदार (Claimant) द्वारा शाखा कार्यालय में जमा करवाए जाएँ , उनकी दैनिकी (Diarize) अवश्य की जाए ।
3. दस्तावेज प्रतियाँ यथा आधार कार्ड , बैंक पासबुक , पेन कार्ड आदि मूल से जांच कर शाखा प्रबन्धक द्वारा सत्यापित किए जाएँ ।
4. आवश्यक दस्तावेज ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन दावे के साथ भी अपलोड करना सुनिश्चित करें ।
5. ऑफलाइन दावा क्षेत्रीय कार्यालय प्रेषित करने के साथ ही सम्पूर्ण अवधि का ऑनलाइन भी क्रिएट करना सुनिश्चित करें ताकि ऑफलाइन स्वीकृति सहित तुरंत ऑनलाइन भी स्वीकृत किया जा सके ।

यह क्षेत्रीय निदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

संलग्न: यथोपरि।

Digitally signed by
DEVENDER S SHEKHAWAT
Date: 26-05-2025
09:30:12

उपनिदेशक (हितलाभ)

प्रतिलिपि :

- समस्त शाखा प्रबन्धक, शाखा कार्यालय / डीसीबीओ , क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ।



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय

Headquarters'

पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002

PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002

Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in

Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

File no:- R/1112/2024-BFT-1

Date:- 24-04-2025

सेवा में,

All Addl. Commissioner & Regional Directors / Regional Directors / Dy. Directors (I/c), Regional Offices / Sub-Regional Offices

Subject: Information regarding approval of Offline Payment in Time Barred Cases concerned to Cash Benefit payments in various Branch Offices.

महोदया/महोदय,

Benefit branch, Headquarter has been receiving many cases referred by Ros/SROs for consideration of offline payment in Time Barred Cases of Cash Benefit payments at the level of Branch Manager. The various scenarios under which claims become time barred have been examined, accordingly, following guidelines are issued to streamline the procedure and reducing the time limit for disbursement of payment to the beneficiaries.

In respect of time-barred claims submitted after 12 months but within 2 years of the date of their becoming due, the Deputy Director and the Assistant Director at Regional Office have been authorized to sanction investigation and payment. In respect of time-barred claims submitted after 2 years but within 6 years of the date of becoming due, Regional Director is the competent authority to sanction investigation and payment.

It is generally seen that in such cases Branch Offices generally make payment for the last 12 months pending cash benefit and then refer the pending payment beyond 12 months to Regional Offices for approval as payment of that period is not possible.

Though, ICT branch, Hqrs has been requested to provide solution for processing of time barred through online which is under process, such cases are referred to HQRS when Regional Director/SRO (I/C) is the Competent Authority to sanction such claim at their level. Therefore, all RDs/SRO (I/C)s are instructed to advise all Branch Managers under their jurisdiction first get the sanction of time barred claim from the Competent Authority (RD/SRO (I/C)s and only then proceed for payment for the entire period in one go through online/ERP.

The above directions shall come into force with immediate effect.

This issues with the approval of Insurance Commissioner (Revenue & Benefits), ESIC.

भवदीय
Digitally signed by
Sanjay Kumar
Date: 24-04-2025
15:40:27
उपनिदेशक (हितलाभ)

प्रतिलिपि:

1: वेबसाइट कंटेंट मैनेजर को निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।